

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम निदेशालय  
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार  
3, इर्ला रोड विले पार्ले मुंबई-56

सं. पीएमईजीपी/नीति/2022-23/02

दिनांक: 06.12.2022

**परिपत्र**

**विषय: पशुपालन के अंतर्गत पीएमईजीपी इकाइयों हेतु मानदंड के संबंध में।**

1. यह परिपत्र संसंख्यक परिपत्र दिनांक 01.06.2021 के क्रम में जिसके द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए नवीनतम पीएमईजीपी दिशानिर्देशों के संबंध में सूचित किया गया था।
2. उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के तहत पशुपालन के तहत डेयरी, मुर्गी पालन, जलीय कृषि, सुअर पालन और कीड़े आदि जैसी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी।
3. राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों सहित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय पशुपालन इकाइयों को सेवा क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र के तहत माना जाए या नहीं, इस पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अभ्यावेदन भेज रहे हैं। साथ ही, इस बात पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या मवेशियों, चूजों आदि जैसे पशुधन की लागत को पूंजीगत व्यय/सावधि ऋण के तहत माना जा सकता है।
4. इस संबंध में, पशुपालन की गतिविधियों में लगी पीएमईजीपी इकाइयों को सेवा क्षेत्र के तहत पर विचार करने का निर्णय लिया गया है, अर्थात् पहले ऋण के लिए सब्सिडी हेतु पात्र अधिकतम परियोजना लागत रु. 20 लाख मात्र तक सीमित होगी।
5. पशुधन की लागत को पूंजीगत व्यय/सावधि ऋण के अंतर्गत माना जाएगा। तथापि, पशुधन की लागत को, नीचे दिए गए लिंक पर नाबार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित राज्य हेतु नाबार्ड दरों के आधार पर विचार किया जाएगा।



<https://www.nabard.org/info-centre-statewise-masterunitcost.aspx?cid=501&id=24>

6. कृपया इसे सभी संबंधित हितधारकों के ध्यान में लाया जाए।
7. यह परिपत्र कार्यान्वयी अभिकरणों के स्तर पर लंबित आवेदनों सहित सभी नए आवेदनों के जारी होने की तारीख से लागू होंगी।  
यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया है।

-Sd-

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पीएमईजीपी)

प्रति;

1. सभी राज्य/ मंडलीय निदेशक, केवीआईसी।
2. सभी अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य/संघीय राज्य, केवीआई बोर्ड।

3. सभी राज्य/संघीय राज्य, डीआईसी प्रमुख।
4. सभी प्रधान सचिव, डीआईसी, सभी राज्य/संघीय राज्य।
5. खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई एवं मुंबई से बाहर स्थित कार्यालयों के सभी आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण- सूचनार्थ।
6. सभी बैंकों के नोडल अधिकारी।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. अध्यक्ष प्रकोष्ठ,केवीआईसी ।
2. केवीआईसी के सभी आयोग सदस्य ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विशेष कार्य अधिकारी, केवीआईसी।
4. वित्तीय सलाहकार के विशेष कार्य अधिकारी, केवीआईसी।

-Sd-

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पीएमईजीपी)